जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना नवाचार का देयता और निवारण संबंधी नगोया - क्वालालम्पुर संपूरक नवाचार

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना नवाचार का देयता और निवारण संबंधी नगोया - क्वालालम्पुर संपूरक नवाचार

जैविक विविधता सम्मेलन
सचिवालय
मॉन्ट्रियल

संयुक्त राष्ट्र संघ

जैव विविधता सम्मेलन सचिवालय
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
413 सेंट जैकस स्ट्रीट पश्चिम, सुइट 800
मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा H2Y 1N9
फोन: +1 (514) 288 2220
फैक्स: +1 (514) 288 6588
ईमेल: secretariat@cbd.int
वेबसाइट:www.cbd.intएवं
bch.cbd.int/protocol

© 2011 जैव विविधता
सम्मेलन सचिवालय
द्वारा सर्वाधिकार
सुरक्षित।
प्रकाशित 2011
कनाडा में मुद्रित
ISBN: 92-9225-324-7

शिक्षा या गैर लाभ प्रयोजनों के लिए कॉपीराइट धारकों से विशेष अनुमति के बगैर इस प्रकाशन को पुन:प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया गया हो। सम्मेलन का सचिवालय इस दस्तावेज़ का एक स्रोत के रूप में उपयोग करने वाले प्रकाशनों की एक प्रति प्राप्त होने की अपेक्षा करेगा।

स्थानीय सूची अभिलेख:

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना के देयता और निवारण पर नागोया - कुआलालम्पुर पूरक करार/जैव विविधता सम्मेलन सचिवालय

सारांश: "इस पुस्तिका में जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते के देयता और निवारण पर नागोया-कुआलालम्पुर पूरक करार शामिल हैं।"- प्रकाशक द्वारा उपलब्ध कराया गया।
ISBN 92-9225-324-7
1. जैव विविधता - कानून और विधान 2. पर्यावरण कानून, अंतर्राष्ट्रीय 3. जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 4. जैव प्रौद्योगिकी
I. जैव विविधता पर सम्मेलन (1992). विज्ञप्ति, इत्यादि, 2010 अक्टूबर 15. II. जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते (2010:नागोया, जापान) के पक्षों की बैठक के रूप में जैव विविधता समझौते में शामिल पक्षों का सम्मेलन। III. संयुक्त राष्ट्र संघ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया जैव विविधता सम्मेलन सचिवालय से संपर्क करें।

प्रस्तावना

29 जनवरी 2000 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते को जैव विविधता सम्मेलन के लिए एक पूरक करार के तौर पर अपनाया गया था। यह 11 सितम्बर 2003 से प्रभावी हुआ। यह समझौता एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, जिसका उद्देश्य ऐसे सजीव संशोधित जीवों के सुरक्षित स्थानांतरण, निपटान और उपयोग के लिए योगदान करना है जिनका जैविक विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके अलावा यह सीमापार गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिमों का भी हिसाब रखेगा।

सजीव संशोधित जीवों से उत्पन्न क्षति के लिए दायित्व और निवारण पर नियमों के विस्तार के मुद्दे जैव सुरक्षा पर समझौते को अपनाने से पहले और बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विचाराधीन थे। समझौते का अनुच्छेद 27 एक परिभाषित समय सीमा के भीतर इस मुद्दे पर विचार को पूरा करने की दिशा में एक औपचारिक प्रक्रिया की स्थापना के लिए मंच तैयार करता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार जैव विविधता समझौते के पक्षों को अंतरराष्ट्रीय नियमों और प्रक्रियाओं का उचित विस्तार के संबंध में और सजीव संशोधित जीवों की सीमापार गतिविधियों से उत्पन्न क्षति के लिए दायित्व और निवारण के लिए एक प्रक्रिया को अपनाने के लिए जैव सुरक्षा समझौते में शामिल पक्षों की पहली बैठक के रूप में सम्मेलन की आवश्यकता थी।

तदनुसार, 23-27 फ़रवरी 2004 के दौरान, कुआलालम्पुर में जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते के पक्षों की बैठक के रूप में सम्मेलन की पहली बैठक को आयोजित किया गया था, जिसमें जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते के दायित्व और निवारण के संबंध में मुद्दों के विश्लेषण, विकल्पों के विस्तार और इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय नियमों और प्रक्रियाओं को प्रस्तावित करने के लिए एक तदर्थ कानूनी और तकनीकी खुले कार्य समूह की स्थापना की गई।

कई वर्षों तक विचार-विमर्श के बाद, समझौते में शामिल पक्षों की पांचवीं बैठक के रूप में, 15 अक्टूबर 2010 को नागोया, जापान में हुए सम्मेलन में जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते के दायित्व और निवारण पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को अंतिम रूप दिया और अपनाया गया, जिसे नागोया-कुआलालम्पुर पूरक करार के रूप में जाना जाता है।

पूरक करार सीमा पार गतिविधियों में अपना मूल प्राप्त करने वाले, सजीव संशोधित जीवों से उत्पन्न जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग से होने वाली क्षति या क्षति की पर्याप्त संभावना होने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के उपायों को संबोधित करने के लिए एक प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाता है।

अपनी मूल संधि, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते की तरह, नागोया-कुआलालम्पुर पूरक करार अपनाने को एक तरफ नुकसान रोकने के लिए किए जाने वाले कार्य के रूप में देखा जाता है तो दूसरी तरफ, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग में विश्वास उत्पन्न करने का उपाय माना जा रहा है। कुछ गलत होने और उससे जैव विविधता के क्षति ग्रस्त होने या क्षति ग्रस्त होने की संभावना की स्थिति में यह निवारण या प्रतिक्रिया उपायों के लिए नियम उपलब्ध कराने के द्वारा सजीव संशोधित जीवों की क्षमता से अधिकतम लाभ पाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है।

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना नवाचार का देयता और निवारण संबंधी नगोया - क्वालालम्पुर संपूरक नवाचार

इस पूरक समझौते में शामिल *पक्ष,*

जैव विविधता सम्मेलन के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते में शामिल पक्ष होने के नाते, आगे "समझौते (प्रोटोकॉल)" के रूप में संदर्भित किए जाएंगे,

पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के 13वें सिद्धांत का ध्यान रखते हुए,

पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के 15वें सिद्धांत में निहित एहतियाती दृष्टिकोण को पुष्ट करते हुए,

समझौते के साथ संगत नुकसान या जहां नुकसान की पर्याप्त संभावना है, वहां उचित प्रतिक्रिया उपाय उपलब्ध कराने की आवश्यकता को समझते हुए,

समझौते के अनुच्छेद 27 को याद करते हुए

इन पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद

1

उद्देश्य

इस पूरक करार का उद्देश्य सजीव संशोधित जीवों से संबंधित दायित्व और निवारण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियम और प्रक्रियाएं प्रदान कर, मानव स्वास्थ्य के जोखिम का ध्यान रखते हुए, जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग करने के लिए योगदान करना है।

अनुच्छेद

2

शब्दावली का उपयोग

1. जैव विविधता पर सम्मेलन के अनुच्छेद 2 में प्रयुक्त शब्दों को आगे "सम्मेलन" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, और अनुच्छेद 3 इस पूरक करार के लिए समझौते का अनुच्छेद 3 लागू होगा।
2. इसके अलावा, इस पूरक करार के प्रयोजनों के लिए:

   (क) "समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में सेवारत पक्षों के सम्मेलन" का तात्पर्य है समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में पक्षों का सम्मेलन;

   (ख) "नुकसान" का तात्पर्य है मानव स्वास्थ्य के जोखिम का ध्यान रखते हुए, संरक्षण और जैव विविधता के सतत इस्तेमाल पर प्रतिकूल प्रभाव:

(i) मापने योग्य या अन्यथा प्रत्यक्ष है, जहां भी उपलब्ध है, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक रूप से स्थापित आधार पर जो किसी भी अन्य मानव प्रेरित परिवर्तन और प्राकृतिक विभिन्नता का हिसाब रखता है, और,

(ii) नीचे अनुच्छेद 3 में निर्धारित रूप में महत्वपूर्ण है;

(ग) "संचालक (ऑपरेटर)" का तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जिसका सजीव संशोधित जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है, जो उचित और घरेलू कानून द्वारा निर्धारित के अनुसार, अन्य बातों के साथ, परमिट धारक, सजीव संशोधित जीवों को बाजार में पहुँचाने वाला, डेवलपर, निर्माता, सूचक, निर्यातक, आयातक, वाहक या आपूर्तिकर्ता हो सकता है;

(घ) "प्रतिक्रिया उपायों से तात्पर्य है निम्नलिखित के लिए उचित कार्रवाई :

(i) रोकना, न्यूनतम करना, धारण, कम करना या उपयुक्त तरीके से अन्यथा रूप में क्षति से बचाना,

(ii) वरीयता के निम्न क्रम में किए जा रहे कार्यों के माध्यम से जैव विविधता को पुनर्स्थापित करना:

क. क्षति होने से पहले की स्थिति, या इसके निकटतम समकक्ष तक, जहां सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करता है कि यह संभव नहीं है, जैविक विविधता की बहाली; और

ख. अन्य विषयों सहित, जैविक विविधता के अन्य घटकों के साथ जैव विविधता के नुकसानों की भरपाई, या उसी स्थान पर अथवा उचित रूप में, किसी वैकल्पिक स्थान पर उपयोग के अन्य प्रकार, द्वारा बहाली।

3. एक "महत्वपूर्ण" प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है:

(क) लंबे समय के या स्थायी परिवर्तन, को ऐसा परिवर्तन माना जाता है जिसका समय की उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक बहाली के माध्यम से निराकरण नहीं होगा;

(ख) जैविक विविधता के घटकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन की सीमा तक;

(ग) माल और सेवाओं को प्रदान करने के लिए जैव विविधता के घटकों की क्षमता में कमी;

(घ) समझौते के संदर्भ में मानव स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ।

अनुच्छेद

3

क्षेत्र

1. यह पूरक समझौता सीमापार गतिविधियों में अपना मूल प्राप्त करने वाले सजीव संशोधित जीवों से उत्पन्न क्षति के लिए लागू होता है। संदर्भित सजीव संशोधित जीव हैं:

(क) भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के उद्देश्य से प्रयुक्त

(ख) निहित उपयोग के लिए निर्धारित

(ग) वातावरण में जानबूझकर शामिल करना।

2. अंतर्राष्ट्रीय सीमापार गतिविधियों के संदर्भ में, यह पूरक करार ऊपर अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट सजीव संशोधित जीवों के किसी भी अधिकृत उपयोग से उत्पन्न क्षति पर लागू होता है।

3. यह पूरक करार भी करार के अनुच्छेद 17 में निर्दिष्ट बिना किसी खास उद्देश्य के सीमापार गतिविधियों से उत्पन्न क्षति के साथ ही करार के अनुच्छेद 25 में निर्दिष्ट अवैध सीमापार गतिविधियों से उत्पन्न क्षति के लिए भी लागू होता है।

4. यह पूरक करार सजीव संशोधित जीवों की ऐसी सीमापार गतिविधियों से उत्पन्न क्षति के लिए लागू होता है जो इस पूरक करार के प्रभावी होने के बाद आरंभ की गई हों, यह उस पक्ष के लिए लागू होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में सीमापार गतिविधियां हुई हों।

5. यह पूरक करार पक्षों के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर के क्षेत्रों में हुई क्षति के लिए लागू होता है।

6. शामिल पक्ष अपने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर होने वाली क्षति को संबोधित करने के लिए अपने घरेलू कानून में निर्धारित मापदंड का उपयोग कर सकते हैं।

7. इस पूरक करार को लागू करने के घरेलू कानून इसमें शामिल न होने वाले पक्षों द्वारा की गई सजीव संशोधित जीवों की सीमापार गतिविधियों से उत्पन्न क्षति के लिए भी लागू होगा।

अनुच्छेद

4

करणीय संबंध

घरेलू कानून के अनुसार क्षति और संबंधित सजीव संशोधित जीव के बीच एक करणीय कार्य संबंध स्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद

5

प्रतिक्रिया उपाय

1. पक्षों को सक्षम प्राधिकारी की निम्नलिखित में से किसी भी आवश्यकताओं के अधीन नुकसान की स्थिति में उपयुक्त संचालक या संचालकों की आवश्यकता होगी:

(क) सक्षम प्राधिकारी को फौरन सूचित करें,

(ख) क्षति का मूल्यांकन, और

(ग) उचित जवाबी उपाय करें।

2 . सक्षम प्राधिकारी :

(क) क्षति का कारण बनने वाले संचालक की पहचान करता है,

(ख) क्षति का मूल्यांकन करता है, और

(ग) निर्धारित करते हैं कि संचालक द्वारा क्या जवाबी प्रतिक्रिया की जानी चाहिए।

3. जहां जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस में उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी या उपलब्ध सूचना सहित प्रासंगिक जानकारी, इस बात का संकेत करती है कि समय पर प्रतिक्रिया उपाय नहीं किया जाता तो नुकसान होने की पर्याप्त संभावना है, वहां इस तरह के नुकसान से बचने के लिए संचालक को उपयुक्त जवाबी कदम उठाने की ज़रूरत होगी।

4. सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त प्रतिक्रिया उपायों को लागू कर सकते हैं, विशेष रूप से, वहां जहां पर संचालक ऐसा करने में नाकाम रहा है ।

5. सक्षम प्राधिकारी को संचालक से लागत और खर्च, वसूलने और प्रासंगिक क्षति के मूल्यांकन और ऐसे किसी भी उचित प्रतिक्रिया उपायों का ठीक से कार्यान्वयन करने का अधिकार है। पक्ष अपने घरेलू कानून में, ऐसा प्रावधान कर सकता है जिसमें अन्य स्थितियों के लिए संचालक का लागत और खर्च वहन करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

6. संचालक द्वारा प्रतिक्रिया उपाय करने की आवश्यकता के बारे में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए। संचालकों को ऐसे निर्णयों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। घरेलू कानून ऐसे निर्णयों की प्रशासनिक या न्यायिक समीक्षा के अवसर सहित इनके समाधान भी प्रदान करेगा। सक्षम प्राधिकारी, संचालक को घरेलू कानून के अनुसार उपलब्ध समाधान के बारे में भी सूचित करेगा। जब तक घरेलू कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, इस तरह के उपायों का सहारा लेकर सक्षम प्राधिकारी को उपयुक्त परिस्थितियों में प्रतिक्रिया उपाय करने से बाधित नहीं किया जा सकेगा ।

7. इस धारा को लागू करने में और आवश्यक या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले विशेष प्रतिक्रिया उपायों को परिभाषित करने की दृष्टि से, पक्ष इस बात का आकलन कर सकते हैं कि क्या नागरिक दायित्व पर उनके घरेलू कानून में उपयुक्त प्रतिक्रिया उपाय को पहले से संबोधित किया गया है या नहीं।

8. प्रतिक्रिया उपायों को घरेलू कानून के अनुसार लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद

6

छूट

1. पक्ष अपने घरेलू कानून में निम्नलिखित छूटों के लिए, प्रावधान कर सकते हैं:

(क) दैवी प्रकोप (घटना) या अप्रत्याशित घटना, और

(ख) युद्ध या नागरिक अशांति के कार्य।

2. पक्ष किसी भी अन्य छूट या कमी के लिए, जिसे वे उचित समझे, अपने घरेलू कानून में प्रावधान कर सकते हैं।

अनुच्छेद

7

समय सीमा

पक्ष अपने घरेलू कानून में, निम्नलिखित का प्रावधान कर सकते हैं:

(क) प्रतिक्रिया उपायों से संबंधित कार्यों के लिए सहित प्रासंगिक तथा/अथवा पूर्ण समय सीमा, और

(ख) अवधि का प्रारंभ जिस के लिए एक समय सीमा लागू होती है।

अनुच्छेद

8

वित्तीय सीमाएं

पक्ष अपने घरेलू कानून में, प्रतिक्रिया उपायों से संबंधित लागत और खर्च की वसूली की वित्तीय सीमाओं का प्रावधान कर सकते हैं।

अनुच्छेद

9

सहारे का अधिकार

यह पूरक करार सहारे या क्षतिपूर्ति के ऐसे किसी भी अधिकार को सीमित या बाधित नहीं करेगा जो किसी भी अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक संचालक के पास हो सकता है ।

अनुच्छेद

10

वित्तीय प्रतिभूति

1.पक्षों के पास अपने घरेलू कानून में, वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

2. पक्ष करार के प्रस्तावना के अंतिम तीन अनुच्छेदों का ध्यान रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों के साथ सुसंगत तरीके ऊपर के अनुच्छेद 1 में वर्णित अधिकार का प्रयोग करेंगे।

3. पूरक करार के प्रभावी होने के बाद करार में शामिल पक्षों की बैठक के तौर पर होने वाले सम्मेलन की पहली बैठक में, सचिवालय से एक व्यापक अध्ययन करने का अनुरोध किया जाएगा जो अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित को संबोधित करेगा:

(क) वित्तीय सुरक्षा तंत्र के तौर तरीके;

(ख) विशेष रूप से, विकासशील देशों के पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक तंत्र के प्रभावों का मूल्यांकन, और

(ग) वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त संस्थाओं की पहचान।

अनुच्छेद

11

अंतरराष्ट्रीय स्तर के गलत कृत्यों लिए राज्यों की जिम्मेदारी

यह पूरक करार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत तरीके कृत्यों के लिए राज्य की जिम्मेदारी के संबंध में सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों के तहत राज्यों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुच्छेद

12

नागरिक दायित्व से संबंध और कार्यान्वयन

1. पक्ष अपने घरेलू कानून में नुकसान का समाधान करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का प्रावधान करेंगे। इस दायित्व को लागू करने के लिए, पक्ष इस पूरक करार के अनुसार और उपयुक्त प्रतिक्रिया उपायों का प्रावधान कर सकता है:

(क) नागरिक दायित्व पर सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं सहित, जहां लागू हो, अपने मौजूदा घरेलू कानून को लागू करना,

(ख) विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए नागरिक दायित्व नियमों और प्रक्रियाओं को विकसित या लागू करें, या

(ग) दोनों के संयोजन को विकसित या लागू करें।

2. पक्ष, धारा 2, अनुच्छेद 2 (ख) में परिभाषित नुकसान के साथ जुड़े सामग्री या व्यक्तिगत नुकसान के लिए नागरिक दायित्व पर अपने घरेलू कानून में पर्याप्त नियमों और प्रक्रियाओं का प्रावधान करने के उद्देश्य के साथ:

(क) नागरिक दायित्व पर अपने मौजूदा सामान्य कानून लागू करना जारी रखें;

(ख) विशेष रूप से, इस उद्देश्य के लिए नागरिक दायित्व कानून विकसित और लागू करें या लागू करना जारी रखें, या

(ग) दोनों के संयोजन को विकसित और लागू करें या लागू करना जारी रखें।

3. ऊपर के अनुच्छेद 1 या 2 के उप अनुच्छेद (ख) या (ग) में संदर्भित अनुसार नागरिक दायित्व कानून को विकसित करते समय, पक्ष, जैसा उपयुक्त हो, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित तत्वों को संबोधित करेंगे :

(क) नुकसान;

(ख) सख्त या गलती आधारित देयता सहित, देयता का मानक,

(ग) जहां उपयुक्त हो, देयताओं की चैनलिंग,

(घ) दावों लाने का अधिकार।

अनुच्छेद

13

आकलन और समीक्षा

समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में होने वाने पक्षों के सम्मेलन द्वारा इस पूरक करार के प्रभावी होने के हर पाँच वर्ष बाद इस पूरक करार की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाएगी, बशर्ते कि पक्षों द्वारा इस प्रकार की समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई हो। जब तक इस पूरक करार में शामिल पक्षों द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए समीक्षा आकलन के संदर्भ में और समझौते के अनुच्छेद 35 में निर्दिष्ट रूप में की जाएगी। पहली समीक्षा में धारा 10 और 12 की प्रभावशीलता की समीक्षा भी शामिल होगी।

अनुच्छेद

14

सम्मेलन में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में समझौते के पक्षों का सम्मेलन

1. समझौते की धारा 32 के अनुच्छेद 2 के तहत, सम्मेलन में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में होने वाला समझौते के पक्षों का सम्मेलन इस पूरक करार के पक्षों की बैठक के रूप में काम करेगा।
2. समझौते के लिए दलों की बैठक के रूप में होने वाला पक्षों का सम्मेलन इस पूरक करार के कार्यान्वयन को नियमित रूप से समीक्षा के अधीन रखेगा और अपने आदेश के अंतर्गत, आवश्यक निर्णय लेना होगा तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना होगा। यह इस पूरक करार के तहत इसे सौंपे गए कार्यों और यथोचित परिवर्तन सहित इस समझौते की धारा 29 के अनुच्छेद 4 (क) और (च) द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेगा।

अनुच्छेद

15

सचिवालय

समझौते की धारा 24 द्वारा स्थापित सचिवालय इस पूरक करार के सचिवालय के रूप में काम करेगा।

अनुच्छेद

16

सम्मेलन और करार के साथ संबंध

1. यह पूरक करार समझौते का पूरक होगा और न तो समझौते को संशोधित करेगा और न ही समझौते में कोई परिवर्तन करेगा।
2. यह पूरक करार सम्मेलन और समझौते के तहत इस पूरक करार में शामिल पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. इस पूरक करार में अन्यथा प्रावधान किए जाने की स्थिति को छोड़कर, सम्मेलन और समझौते के प्रावधान यथोचित परिवर्तन सहित इस पूरक करार के लिए लागू होंगे।
4. ऊपर के अनुच्छेद 3 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह पूरक करार अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी पक्ष के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुच्छेद

17

हस्ताक्षर

यह पूरक करार 7 मार्च 2011 से 6 मार्च 2012 तक करार में शामिल पक्षों द्वारा हस्ताक्षर के लिए न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में खुला रहेगा।

अनुच्छेद

18

प्रभावी होना

1. यह पूरक करार करार में शामिल पक्षों यानी राज्यों या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों द्वारा अनुसमर्थन के चालीसवें साधन, स्वीकृति, अनुमोदन या अभिगमन के जमा होने की तारीख नब्बे दिन बाद प्रभावी होगा।

2. यह पूरक करार किसी राज्य या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन के लिए, जो इसे अनुसमर्थित करता है, स्वीकार करता है या इसे मंजूरी देता है या अभिगमन करता है, द्वारा चालीसवें साधन के जमा करने के बाद, अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन, या अभिगमन के जमा करने की तारीख के नब्बे दिन बाद या उस तारीख को जब यह करार राज्य या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन के लिए प्रभावी होता है, दोनों में से जो भी बाद में हो, कार्यकारी होगा।

3. ऊपर के अनुच्छेद 1 और 2 के प्रयोजनों के लिए, एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन द्वारा जमा किए गए किसी भी साधन को ऐसे संगठन के सदस्य देशों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त के रूप में नहीं गिना जाएगा।

अनुच्छेद

19

आरक्षण

इस पूरक करार में कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद

20

प्रत्याहार (वापस लेना)

1. किसी पक्ष पर इस पूरक करार के प्रभावी होने की तारीख से दो साल के बाद किसी भी समय निक्षेपागार को लिखित सूचना देकर वह पक्ष इस पूरक करार को समाप्त कर सकता है।
2. इस तरह का कोई भी प्रत्याहार निक्षेपागार द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद, या प्रत्याहार की अधिसूचना में निर्दिष्ट इसके बाद की किसी तारीख पर हो सकेगा।
3. इस समझौते के अनुच्छेद 39 के अनुसार करार से प्रत्याहार करने वाले किसी भी पक्ष को इस पूरक करार से भी निकला हुआ माना जाएगा।

अनुच्छेद

21

प्रामाणिक पाठ्य

इस पूरक करार के मूल दस्तावेज जो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषा के पाठ्य समान रूप से प्रामाणिक हैं ,उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा करना होगा।

अधोहस्ताक्षर कर्ता के साक्ष्य में, इस पूरक करार पर हस्ताक्षर कर इसे विधिवत प्रभाव के लिए अधिकृत किया जा रहा है।

15 अक्टूबर 2010 को नागोया में सम्पन्न।

रोलैंड एनव्यायरो 100 प्रिंट पर मुद्रित,
जिसमें 100% पोस्ट-कन्ज्यूमर फाइबर शामिल है, जो
पर्यावरणीय चयन, क्लोरिन मुक्त प्रसंस्करण है, और
बायोगैस ऊर्जा का उपयोग कर कैसकेड्स द्वारा कनाडा में
उत्पादित किया गया है।
मई 2011
ISBN: 92-9225-324-7